प्रकरण सं0 :- 196/2019
दायर दिनांक :- 21.08.2019

अनवान

श्री विजयसिंह पिता रामदेव मीणा नि. अखेराम जी का खेडा तह0 जहाजपुर

प्रार्थी.........

बनाम

1. श्रीमति लाडा पत्नि रामचन्द्र मीणा नि. अखेराम जी का खेडा तह0 जहाजपुर
2. श्री जयसिंह पिता रामदेव मीणा नि. अखेराम जी का खेडा तह0 जहाजपुर

अप्रार्थीगण......

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश :: दिनांक 09.12.2019

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम अखेराम जी का खेडा प0 ह0 अमरगढ तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 6/69, 6/73 कुल किता 02 रकबा 07.10 बीघा भुमि स्थित है। जिसमें स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम अखेराम जी का खेडा प0 ह0 अमरगढ तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 6/69, 6/73 कुल किता 02 रकबा 07.10 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक अमरगढ का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 800 रू. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

C:\imay\\rider

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:35:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: jahazpur